संख्या 11030/27/84-अ0भा0से0(II)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर, 1984

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।

विषय:- भारतीय प्रशासनिक सेवा- राज्यों में अधिसमय वेतनमान तथा उच्च पदों पर पदोन्नति- तिमाही विवरणी का प्रस्तुत किया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न राज्यों में अधिसमय वेतनमान(रुपये 2500-2750) तथा उससे अधिक वेतनमान वाले पदों पर पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में सूचना प्राप्त करने तथा संकलित करने की आवश्यकता कुछ समय से महसूस की जाती रही है । अब यह सूचना भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्गों का पुनरीक्षण करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए लाभदायक हो गई है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि कृपया उक्त सूचना अक्तूबर, 1984 मास से आरंभ करके तिमाही आधार पर संलग्न प्रपत्र के अनुसार इस विभाग को भेज दी जाए । पहली अक्तूबर, 1984 की सूचना इस विभाग को शीघ्र और हर हालत में 25-10-1984 तक भेज दी जाए । इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष की पहली अक्तूबर, पहली जनवरी, पहली अप्रैल और पहली जुलाई की रिपोर्ट अधिक से अधिक जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर मासों की 10 तारीख तक भेज दी जाए । कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

(श्रीमती अलका काला)
उप सचिव, भारत सरकार

------को राज्य में ....अधिसमय वेतनमान तथा उच्च वेतनमान के पदों पर कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठतम अधिकारी के आवंटन वर्ष को दर्शाने वाला विवरण

संवर्ग पद

1- अधिसमय वेतनमान (रूपये 2500-2750) में पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी का नाम और आवंटन वर्ष

2- 3000 रूपये प्रति मास में पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी का नाम और आवंटन वर्ष

3- 3500 रूपये प्रति मास में पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी का नाम और आवंटन वर्ष

संवर्ग वाह्य पद

1- अधिसमय वेतन (रूपये 2500-2750)/ समतुल्य वेतनमान में पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी का नाम और आवंटन वर्ष

2- 3000 रूपये प्रति मास/समतुल्य वेतनमान में पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी का नाम और आवंटन वर्ष

3- 3500 रूपये प्रति मास/समतुल्य वेतनमान में पदोन्नत कनिष्ठतम अधिकारी का नाम और आवंटन वर्ष

टिप्पणी:- प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर की स्थिति के अनुसार तिमाही आधार पर सूचना इस विभाग को भेजी जानी है ।

2- यह मान लिया जायेगा कि विवरणी में दिये गये वैच के सभी अधिकारी प्रत्येक के सामने दिखाए गए स्तर के पदों तक पदोन्नत कर दिये गये हैं । यदि एक ही वैच के कुछ अधिकारी अभी तक पदोन्नत नहीं किये गए हैं, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या प्रत्येक संगत कालम के सामने कोष्ठकों में दी जाए ।